



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 26.04.2026

हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त थाना करैली पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल जूस पीसने का एल्युमीनियम का नुकीला धातु बरामद

थाना करैली पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0 80/2026 धारा 103(1) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त गिरीश चन्द्र जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल पुत्र स्व0 हीरा लाल निवासी चाट वाली गली थाना करैली जनपद प्रयागराज को पानी टंकी ऐनुद्दीनपुर थाना क्षेत्र करैली प्रयागराज से गिरफ्तार कर कब्जे से आलाकत्ल जूस पीसने का एल्युमीनियम का नुकीला धातु बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का विवरण –

दिनांक 25.04.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती रंजना जायसवाल पत्नी गिरीश चन्द्र जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल निवासी चाट वाली गली थाना करैली जनपद प्रयागराज द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि वादिनी के पति गिरीश चन्द्र जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल द्वारा उनके पुत्र प्रियांशु जायसवाल की हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर थाना करैली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 80/2026 धारा

103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गिरीश चन्द्र जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल पुत्र स्व0 हीरा लाल निवासी चाट वाली गली थाना करैली जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 48 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 80/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज ।

बरामदगी का विवरण-

आलाकत्ल जूस पीसने का एल्युमीनियम का नुकीली धातु

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आशीष सिंह, थाना प्रभारी करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 रमेश कुमार सिंह, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 अवधेश गिरी, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. का0 सुमित कुमार सिंह, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. का0 सचिन कुमार, थाना करैली कमिश्नरेट प्रयागराज।

दहेज हत्या के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता थाना उतरांव पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना उतरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-76/2026 धारा-80(2)/85 भा0न्या0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त अंकित पुत्र विजय कुमार व 01 अभियुक्ता कंचन देवी पत्नी विजय कुमार निवासीगण ग्राम भदवा थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना उतरांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-26.04.2026 को थाना उतरांव क्षेत्रान्तर्गत लल्ला सिंह इण्टर कालेज स्थित हमुनाम मंदिर के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय हे कि उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा पीड़िता के साथ दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उतरांव पर मु0अ0सं0-76/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1. अंकित पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम भदवा थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष ।
2. कंचन देवी पत्नी विजय कुमार निवासिनी ग्राम भदवा थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 43 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-76/2026 धारा-80(2)/85 भा0न्या0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 उमा सिंह यादव, थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. म0उ0नि0 पूजा पाण्डेय, थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. का0 सुशील कुमार, थाना उतरांव कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-143/26 धारा-65(2)/352/351(2) भा0न्या0सं0 व 5M/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 मेराज अली पुत्र मो0 रिजवान उर्फ साहेब निवासी ग्राम बेलहा सिंघामऊ थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-26.04.2026 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जगुआ सोधा स्थित सरकारी ट्यूबबेल के पास से गिरफ्तार किया गया । साक्ष्य संकलन व पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-65(2)/352/351(2) भा0न्या0सं0 व 5M/6 पॉक्सो एक्ट को धारा-65(1)/49/352/351(2) भा0न्या0सं0 व 3(a)/4 पॉक्सो एक्ट में तरमीम कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा परिजनों द्वारा शिकायत करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी, जिसके सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हण्डिया पर मु०अ०सं०-143/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में 01 नामदज अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो० मेराज अली पुत्र मो० रिजवान उर्फ साहेब निवासी ग्राम बेलहा सिंधामऊ थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 25 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं०-143/26 धारा-65(1)/49/352/351(2) भा०न्या०सं० व 3(a)/4 पॉक्सो एक्ट थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० अनूप सरोज, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ०नि० ब्रजेश सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का० बृजेश कुमार राय, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।